रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-10012022-232518 CG-GJ-E-10012022-232518

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] No. 8] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2022/पौष 20, 1943 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2022/PAUSHA 20, 1943

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

## अधिसूचना

गांधीनगर, 7 जनवरी, 2022

फा.सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./021.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 दिसम्बर, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई तारीख 14 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5199(अ) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'पोत पट्टे' को, जिसके अंतर्गत किसी पोत या महासागर जलयान का, पोत या महासागर जलयान के इंजनों या उनके किसी अन्य पुर्ज़े का, प्रचालन पट्टा और प्रचालन और वित्तीय पट्टे का हाइब्रिड भी है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./562/2021-22]

139 GI/2022 (1)

## INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 7th January, 2022

**F. No. IFSCA/2021-22/GN/021.**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) (hereinafter referred as the "said Act") read with notification number S.O.5199 (E) dated 14<sup>th</sup> December, 2021 issued by Ministry of Finance, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th December, 2021, the Authority hereby specifies 'ship lease' which shall include operating lease, and hybrid of operating and financial lease, of a ship or ocean vessel, engines of ship or ocean vessel, or any other part thereof, as a financial product under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./562/2021-22]